



कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा (5)(दो) में वर्णित व्यवस्थान्तर्गत के० एस० मेमोरियल रिसर्च एण्ड रिहैबिलिटेशन कालेज, ग्राम व पोस्ट-बेलागुसीसी, रायबरेली (के० एस० मेमोरियल ट्रस्ट, आर० के० विहार, प्लॉट सं०-29, आई० पी० विस्तार, नई दिल्ली-110092 के अधीन संचालित) द्वारा बी.एड.एस.ई. (एच.आई.) एवं बी.एड.एस.ई. (एम.आर.) पाठ्यक्रमों हेतु शैक्षणिक सत्र 2019-20 में संचालन के लिए सम्बद्धता हेतु नवीन आवेदन किया गया, तत्क्रम में विश्वविद्यालय के दिनांक 31 अगस्त, 2019 को स्थलीय निरीक्षण कराया गया, जिसमें उक्त संस्था को शैक्षणिक सत्र 2019-20 में संगत पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु वांछित मूलभूत सुविधाओं को मानकानुसार नहीं पाये जाने के कारण निरीक्षण दल द्वारा विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्रदान किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी। उक्त संस्तुति के आधार पर विश्वविद्यालय की सम्बद्धता समिति द्वारा शैक्षणिक सत्र 2019-20 में संगत पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उक्त संस्थान को सम्बद्धता प्रदान न करते हुए भविष्य में किसी भी पाठ्यक्रम में सम्बद्धता हेतु नवीन आवेदन (निर्धारित अद्यतन नियमों व शर्तों के अधीन) करने का निर्णय लिया गया।

अतः विश्वविद्यालय से के० एस० मेमोरियल रिसर्च एण्ड रिहैबिलिटेशन कालेज, ग्राम व पोस्ट-बेलागुसीसी, रायबरेली में स्ववित्त-पोषित योजनान्तर्गत बी.एड.एस.ई.(एच.आई.) एवं बी.एड.एस.ई.(एम.आर.) पाठ्यक्रमों के शैक्षणिक सत्र 2019-20 में संचालन सम्बन्धी आवेदन पत्र का निस्तारण उपरोक्तानुसार किया जाता है।

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव

पत्रांक : 1519/पत्रा सं०-412/17/DSMNRU/सम्बद्धता/2019-20

दिनांक 17 अक्टूबर, 2019

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मा० कुलपति, विश्वविद्यालय को सादर अवलोकनार्थ।
2. सदस्य सचिव, भारतीय पुनर्वास परिषद, बी-22, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110016।
3. वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय।
4. परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय।
5. प्रबन्धक/सचिव/प्राचार्य, के० एस० मेमोरियल ट्रस्ट, आर० के० विहार, प्लॉट सं०-29, आई० पी० विस्तार, नई दिल्ली-110092 के अधीन संचालित के० एस० मेमोरियल रिसर्च एण्ड रिहैबिलिटेशन कालेज, ग्राम व पोस्ट-बेलागुसीसी, रायबरेली।
6. सिस्टम एनालिस्ट, विश्वविद्यालय को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. गार्ड फाईल।

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव



कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा (5)(दो) में वर्णित व्यवस्थान्तर्गत नई सुबह संस्था, जवाहर भवन संकटमोचन, (क्रासिंग), वाराणसी को विश्वविद्यालय के पत्र सं०-122/412/एफ28/DSMNRU-11/सम्बद्धता/2016-17, दिनांक 11.08.2016 द्वारा शर्तों-प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से स्ववित्त-पोषित योजनान्तर्गत M.Phil(Clinical Psychology) एवं PGDRP पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु सम्बद्धता प्रदान की गयी थी। उक्त संस्था द्वारा सम्बन्धित पाठ्यक्रम को शैक्षणिक सत्र 2018-19 में संचालन के लिए सम्बद्धता विस्तारीकरण हेतु आवेदन किया गया तत्क्रम में विश्वविद्यालय के पत्रांक : 1175/पत्रा.सं.-412ए/सम्बद्धता/DSMNRU/2018-19, दिनांक 17.10.2018 द्वारा वांछित मूलभूत सुविधाओं के अभाव में सम्बद्धता विस्तारीकरण नहीं किया गया।

तदक्रम में उक्त संस्था को भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली से उपर्युक्तानुसार पाठ्यक्रमों की मान्यता प्राप्त न होने के कारण सम्बन्धित संस्था द्वारा स्थलीय निरीक्षण नहीं कराये जाने के अनुरोध के आधार पर विश्वविद्यालय की सम्बद्धता समिति द्वारा शैक्षणिक सत्र 2019-20 में संगत पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उक्त संस्थान को सम्बद्धता विस्तारीकरण प्रदान न करते हुए भविष्य में किसी भी पाठ्यक्रम में सम्बद्धता हेतु नवीन आवेदन (निर्धारित अद्यतन नियमों व शर्तों के अधीन) करने का निर्णय लिया गया।

अतः विश्वविद्यालय से अस्थाई रूप से सम्बद्ध उक्त संस्था में स्ववित्त-पोषित योजनान्तर्गत M.Phil (Clinical Psychology) एवं PGDRP पाठ्यक्रमों की मान्यता, भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली से प्राप्त न होने के कारण शैक्षणिक सत्र 2019-20 में संचालन सम्बन्धी आवेदन पत्र का निस्तारण उपरोक्तानुसार किया जाता है।

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव

पत्रांक : 1589/ फा०सं०-412/28/DSMNRU/सम्बद्धता/2019-20

दिनांक 17 अक्टूबर, 2019

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मा० कुलपति, विश्वविद्यालय को सादर अवलोकनार्थ।
2. सदस्य सचिव, भारतीय पुनर्वास परिषद, बी-22, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110016।
3. वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय।
4. परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय।
5. प्रबन्धक/सचिव/प्राचार्य, नई सुबह संस्था, जवाहर भवन, संकटमोचन, (क्रासिंग), वाराणसी (उ०प्र०)।
6. सिस्टम एनालिस्ट, विश्वविद्यालय को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. गार्ड फाईल।

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव



कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा (5)(दो) में वर्णित व्यवस्थान्तर्गत कॉलेज ऑफ हायर स्टडीज, हबीबपुर, झूसी, प्रयागराज-211019 (अग्रवाल एजूकेशन सोसाइटी, 1/4, बैंक रोड, प्रयागराज के अधीन संचालित) को विश्वविद्यालय के पत्र सं0-120/412/एफ04/DSMNRU-13/सम्बद्धता/2016-17, दिनांक 11.08.2016 एवं पत्र सं0-150/412/एफ147/1/2/344/DSMNRU-13/सम्बद्धता/2017-18, दिनांक 01.08.2017 द्वारा शर्तों-प्रतिबन्धों के अधीन अस्थाई रूप से स्ववित्त-पोषित योजनान्तर्गत B.Ed.Spl.Ed.(HI) एवं B.Ed.(General) पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु सम्बद्धता प्रदान की गयी थी। उक्त संस्था द्वारा सम्बन्धित पाठ्यक्रम को शैक्षणिक सत्र 2018-19 में संचालन के लिए सम्बद्धता विस्तारीकरण हेतु आवेदन किया गया, तत्क्रम में विश्वविद्यालय के पत्रांक : 1178/पत्रा.सं.-412ए/सम्बद्धता/DSMNRU/2018-19, दिनांक 17.10.2018 द्वारा वांछित मूलभूत सुविधाओं के अभाव में सम्बद्धता विस्तारीकरण नहीं किया गया।

तदक्रम में उक्त संस्था को भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली से B.Ed.Spl.Ed.(HI) एवं B.Ed.(General) पाठ्यक्रमों की मान्यता प्राप्त न होने के कारण सम्बन्धित संस्था द्वारा स्थलीय निरीक्षण नहीं कराये जाने के अनुरोध के आधार पर विश्वविद्यालय की सम्बद्धता समिति द्वारा शैक्षिक सत्र 2019-20 में संगत पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उक्त संस्थान को सम्बद्धता विस्तारीकरण प्रदान न करते हुए भविष्य में किसी भी पाठ्यक्रम में सम्बद्धता हेतु नवीन आवेदन (निर्धारित अद्यतन नियमों व शर्तों के अधीन) करने का निर्णय लिया गया।

अतः विश्वविद्यालय से अस्थाई रूप से सम्बद्ध उक्त संस्था में स्ववित्त-पोषित योजनान्तर्गत B.Ed.Spl.Ed.(HI) एवं B.Ed.(General) पाठ्यक्रमों की मान्यता, भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली से प्राप्त न होने के कारण शैक्षणिक सत्र 2019-20 में संचालन सम्बन्धी आवेदन पत्र का निस्तारण उपरोक्तानुसार किया जाता है।

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव

पत्रांक : (58) फा0सं0-412/04/DSMNRU/सम्बद्धता/2019-20

दिनांक 17 अक्टूबर, 2019

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मा0 कुलपति, विश्वविद्यालय को सादर अवलोकनार्थ।
2. सदस्य सचिव, भारतीय पुनर्वास परिषद, बी-22, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110016।
3. वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय।
4. परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय।
5. प्रबन्धक/सचिव/प्राचार्य, अग्रवाल एजूकेशन सोसाइटी, 1/4, बैंक रोड, प्रयागराज के अधीन संचालित कॉलेज ऑफ हायर स्टडीज, हबीबपुर, झूसी, प्रयागराज-211019 (उ0प्र0)।
6. सिस्टम एनालिस्ट, विश्वविद्यालय को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. गार्ड फाईल।

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव



कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा (5)(दो) में वर्णित व्यवस्थान्तर्गत महर्षि दयानन्द पुनर्वास संस्थान, ग्राम एवं पोस्ट-राल, मथुरा (महर्षि दयानन्द वैदिक शिक्षा समिति, 55 मनसापुरी कालोनी, पोस्ट-कृष्णा नगर, मथुरा के अधीन संचालित) द्वारा बी.एड.एस.ई. (एच.आई.) एवं बी.एड.एस.ई. (एम.आर.) पाठ्यक्रमों हेतु शैक्षणिक सत्र 2019-20 में संचालन के लिए सम्बद्धता हेतु नवीन आवेदन किया गया, तत्क्रम में विश्वविद्यालय के दिनांक 02 सितम्बर, 2019 को स्थलीय निरीक्षण कराया गया, जिसमें उक्त संस्था को शैक्षणिक सत्र 2019-20 में संगत पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु वांछित मूलभूत सुविधाओं को मानकानुसार नहीं पाये जाने के कारण निरीक्षण दल द्वारा विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्रदान किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी। उक्त संस्तुति के आधार पर विश्वविद्यालय की सम्बद्धता समिति द्वारा शैक्षिक सत्र 2019-20 में संगत पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उक्त संस्थान को सम्बद्धता प्रदान न करते हुए भविष्य में किसी भी पाठ्यक्रम में सम्बद्धता हेतु नवीन आवेदन (निर्धारित अद्यतन नियमों व शर्तों के अधीन) करने का निर्णय लिया गया।

अतः विश्वविद्यालय से महर्षि दयानन्द पुनर्वास संस्थान, ग्राम एवं पोस्ट-राल, मथुरा में स्ववित्त-पोषित योजनान्तर्गत बी.एड.एस.ई.(एच.आई.) एवं बी.एड.एस.ई.(एम.आर.) पाठ्यक्रमों के शैक्षणिक सत्र 2019-20 में संचालन सम्बन्धी आवेदन पत्र का निस्तारण उपरोक्तानुसार किया जाता है।

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव

पत्रांक : 1502/पत्रा सं०-412/17/DSMNRU/सम्बद्धता/2019-20

दिनांक 17 अक्टूबर, 2019

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मा० कुलपति, विश्वविद्यालय को सादर अवलोकनार्थ।
2. सदस्य सचिव, भारतीय पुनर्वास परिषद, बी-22, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110016।
3. वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय।
4. परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय।
5. प्रबन्धक/सचिव/प्राचार्य, महर्षि दयानन्द वैदिक शिक्षा समिति, 55 मनसापुरी कालोनी, पोस्ट-कृष्णा नगर, मथुरा के अधीन संचालित महर्षि दयानन्द पुनर्वास संस्थान, ग्राम एवं पोस्ट-राल, मथुरा।
6. सिस्टम एनालिस्ट, विश्वविद्यालय को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. गार्ड फाईल।

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव